

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश /2528/2019

दिनांक 30.11.2019


डॉ. लक्ष्मणदत्त किराडू (RJ0193), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-06, जयपुर महानगर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 13.05.2019 से 24.05.2019 तक 12 दिनों का परावर्तित अवकाश ।
2. दिनांक 25.05.2019 से 04.06.2019 तक 11 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश दिनांक 05.06.2019 से 06.06.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

डॉ. किराडू की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, जयपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-06, जयपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

 30.11.19


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण )

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/32/1993/ 11554

दिनांक 30.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-06, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 1238 दिनांक 07.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. लक्ष्मणदत्त किराडू (RJ0193), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-06, जयपुर महानगर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, जयपुर महानगर ।

 30.11.2019  
सहायक रजिस्ट्रार